प्रश्न. : मौर्य राज्य की प्रकृति का परीक्षण कीजिये। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर : मौर्य प्रशासन के बारे में हमें विशिष्ट जानकारी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, विदेशी यात्रियों के विवरण एवं मौर्यकालीन अभिलेखों से मिलती है। मौर्य शासनकाल में भारत में पहली बार राजनीतिक एकता प्रतिस्थापित हुई। गणराज्यों का ह्रास होने लगा और सत्ता अत्यधिक केंद्रित होने लगी। इस काल में परंपरागत मान्यताओं के विपरीत राजाज्ञा को प्रमुखता दी गयी।

स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र को माना गया है। अर्थशास्त्र की खोज पंडित श्यामजी शास्त्री ने सन् 1904 ई. में की थी। इसमें लेखक ने एक प्रबुद्ध राजतंत्र की चर्चा

की है। वह एकराट या एकक्षत्र राज्य का पक्षधर है। उसने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की चर्चा की है। ये हैं- राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। ये राज्य निर्माण के आवश्यक तत्व माने गये हैं। अर्थशास्त्र में राजा में विद्यमान कुछ आवश्यक गुण बताये गये हैं यथा- वह कुलीन हो, सत्यवादी हो, बुद्धिमान हो, धर्म का रक्षक हो। कौटिल्य ने एक निपुण शासक होने के लिए तीन बुनियादी शर्तें बताई हैं। यथा- राजा के लिए आवश्यक है कि वह हर समस्या पर यथेष्ठ ध्यान दे, वह सदा सचेत रहे एवं उसे अपनी दायित्वों का सदैव ज्ञान हो। उसने राजा को कुशल कूटनीतिज्ञ होने की बात कही है। उसका कहना है कि मित्र का शत्रु, शत्रु और शत्रु का शत्रु, मित्र होता है। राजा को इन सब बातों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। राजा को अन्वीच्छा अर्थात अन्वेषण, त्रयी अर्थात वेद, लोक अर्थात लोकधर्म, दंड अर्थात न्याय एवं वार्ता अर्थात कृषि-पशुपालन एवं व्यापार की विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। वह एक प्रबुद्ध राजतंत्र का पक्षधर है। उसका कहना है कि राजा में क्षेत्र विजय का अदम्य साहस होना चाहिये। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक है। परंतु साथ ही साथ हम पाते हैं कि वह निरंकुशता के साथ लोक कल्याणकारी राजधर्म का भी समर्थक है। उसने लिखा है प्रजानाम हिते राज्ञं अर्थात प्रजा के हित में ही राजा का हित है।

मौर्यकाल में राजा को मंत्रियों की नियुक्ति एवं निष्कासन का अधिकार था। अर्थशास्त्र में 18 महत्वपूर्ण तीर्थों या अमात्यों की चर्चा हुई है, परंतु ऐसा अहसास होता है उस काल में मंत्रीपरिषद काफी बड़ी होती थी। बिंदुसार के 500 अमात्य थे। अर्थशास्त्र में मंत्री के लिए ईमानदारी, शास्त्रों का ज्ञाता, शीलवान, श्रेष्ठ कुलोत्पन्न एवं दंड नीति में पारंगत होना आवश्यक गुण माने गये हैं। अशोक के छठे शिलालेख जिसमें मंत्रीपरिषद से विचार-विमर्श की चर्चा आयी है इससे स्पष्ट होता है कि निर्णय बहुमत से लिये जाते थे।

मौर्यों के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीय था।

मौर्यों के प्रशासन का स्वरूप केंद्रीय था। विभिन्न प्रकार के अमात्यों का उल्लेख एवं उद्योग- व्यवसाय आदि पर जिस प्रकार से नियंत्रण की चर्चा आयी है, उससे यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रशासन के बड़े-बड़े विभागों में अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी एवं सभी को राजा द्वारा वेतन दिया जाता था। 500 पण से लेकर 48000 पण तक वेतन दिये जाने का उल्लेख हुआ है। इससे मौर्य प्रशासन के राजस्व का भी आभास मिलता है। अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि अशोक के काल में उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था।

यद्यपि मौर्य प्रशासन लोकतांत्रिक अवधारणा पर आधारित नहीं था, फिर भी इसके चरित्र में लोक कल्याण की भावना का समावेश दिखायी पड़ता है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में राजा को लोक कल्याण हेतु तत्पर रहने को कहा है। रूद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का उल्लेख आया है। धौली अभिलेख में अशोक अपने समस्त प्रजा को पुत्र-पुत्रियों कहता है। उसकी धम्म यात्रा का उद्देश्य भी लोक कल्याण था। उसने

प्रतिवेदक नामक अधिकारी की नियुक्ति मात्र इसलिए की कि वह उसे जनता की खबर सीधे पहुंचा सकेगा।

मौर्यकाल में सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सबसे नीचे ग्राम न्यायालय की, उसके बाद संग्रहण, दोशमुख खार्वटिक आदि स्थानीय अथवा जनपद स्तर के न्यायालय थे। राजा के न्यायालय के अलावा धर्मस्थीय एवं कंटकशोधन न्यायालय को जिसमें क्रमशः दीवानी और फौजदारी मामले देखे जाते थे, विवादों को पंजीकृत किया जाता था। न्याय का आधार धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजशासन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। इस कार्य में वृद्ध, स्त्रियों, गणिकाओं आदि का भी सहयोग लिया जाता था। प्रतिवेदकों की चर्चा मिलती है जो किसी भी समय राजा से मिलने को स्वतंत्र था। संस्था और संचार दो अन्य प्रकार के गुप्तचरों की बिशद् चर्चा मिलती है। इनमें संस्था स्थायी तौर पर और संचार परिचरण करते हुए कार्य करते थे। मेगास्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसियर की संज्ञा दी है। अर्थशास्त्र में चतुरंगिनी सेना की चर्चा मिलती है। मेगास्थनीज ने सेना के छः विभाग बताये हैं। इनके अलावा रसद, आयुद्धागार, रथाध्यक्ष की भी चर्चा आई है।

साहित्यिक स्त्रोतों से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में नगर प्रशासन पर यथोचित ध्यान दिया जाता था। अर्थशास्त्र में नगर प्रशासन को नागरक कहा गया है, जबकी मेगास्थनीज ने म्युनिसपिल जैसी संस्था बताया है। ये 30 वार्डों से निर्मित थे और पांच-पांच की संख्या में छः समितियों में विभक्त थे। ये जन्म मरण, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, शिल्पकला निर्मित वस्तुओं की बिक्री एवं कर वसूलने का कार्य करते थे। नगर में रात को बिना अनुमति के प्रवेश नहीं दिया जाता था।

अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौर्य प्रशासन के सुदृढ़ केंद्रीकृत होने के बावजूद भी लोक कल्याण की भावनाओं से ओत प्रोत था। सिद्धांततः तो यह पूर्णतः राजतंत्र लगता है पर साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्त्रोतों के आधार पर यह कहा जा सयकता है कि राजा जन विचार के विपरीत कुछ नहीं करता था। कुछ प्रशासनिक कार्य भी जनता के हाथों सुपुर्द थे।